बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800001

64वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

आवश्यक सूचना

1. 64वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा रविवार, दिनांक 16.12.2018 को (एकल बैठक – 12.00 बजे मध्याह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक) 35 जिला मुख्यालयों में अवस्थित 808 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी जिसमें सामान्य अध्ययन विषय के वस्तुनिष्ठ प्रकृति के 150 प्रश्न होंगे।
2. उक्त परीक्षा हेतु ई–प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in/ www.onlinebpsc.bih.gov.in पर दिनांक 28.11.2018 से उपलब्ध रहेगा, जिसे डाउनलोड करने के लिए ''आवश्यक निर्देश'' आयोग के उक्त वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी ई–प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उक्त आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। ई–प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 14.12.2018 निर्धारित की जाती है। सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपना–अपना ई–प्रवेश पत्र 14.12.2018 तक अवश्य डाउनलोड कर लें। **अभ्यर्थी आखिरी समय (Eleventh Hour) का इन्तजार नहीं करेंगे। वे यथाशीघ्र ई–प्रवेश पत्र डाउनलोड करना प्रारम्भ करेंगे।**

   अभ्यर्थियों को डाक से (by Post) प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।
3. यह प्रवेश पत्र 64वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन ऑनलाईन आवेदन में आपके द्वारा की गई प्रविष्टि एवं दी गई सूचना को सही मानकर जारी किया गया है। अतः **यह प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय साक्षात्कार के समय अंकित तथ्यों से संबंधित कागजातों की विधिवत जाँच/सत्यापन के पश्चात किया जा सकेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई–प्रवेश पत्र (e-Admit Card) निर्गत होने से अभ्यर्थी की अर्हता संपुष्ट नहीं होती है। आपके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि एवं दी गई सूचना तथा उससे संबंधित कागजात में किसी प्रकार की भिन्नता रहने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और, आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।**
4. **परीक्षा केन्द्र परिसर, जहाँ परीक्षा होनी है, में मोबाईल, ब्लुटुथ, वाई–फाई, गैजेट इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर आदि जैसी इलैक्ट्रॉनिक सामग्री अथवा अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक संचार उपकरण को लेकर जाना एवं उपयोग वर्जित है। इसकी अवहेलना किए जाने पर आयोग की इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित करते हुए अनुशासनिक/दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।**

27.11.18

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना